



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 24-07-2022

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बडौत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- शरद पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी पट्टी खोब्बा महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अशोक कुमार ।
- 2- है0का0 422 राजन ।



प्रेस नोट

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 670/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, एक शातिर वाहन चोर बाल अपचारी को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना बडौत पर वादी श्री सचिन तोमर पुत्र श्री सुबोध तोमर निवासी ग्राम गुंगा खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 21-07-2022 को बिजरौल रोड पर बीएसएनएल एक्सचेंज आफिस में वह बिल जमा करने गया था जब वह बिल जमा करके बाहर आया तो आफिस के बाहर खडी उसकी मोटर साइकिल ग्लैमर नं० UP-12S-



8517 नही मिली । उसकी मो०सा० किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 670/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु०अ०सं० 670/21 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल ग्लैमर न० UP-12S-8517 बरामद हुई है ।

उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल ग्लैमर नं0 UP12S8517 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 670/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपता)

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव ।
- 2- है0का0 65 महिपाल सिंह ।
- 3- का0 814 अमित नागर ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 24.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-नीटू पुत्र रामपाल सिंह निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-म0उ0नि0 श्रीमती सरिता सिंह ।

2-का0 447 पंकज कुमार ।

3-हो0गा0 622 प्रेमचन्द त्यागी ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 271/22 धारा 498ए/323 भादवि 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/07/2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया ने सूचना दी कि सुहैल पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर बागपत द्वारा वादिया से दहेज के रूप में एक सोने की चेन, एक मोटर साईकिल व एक लाख रुपये नगद की मांग की व मांग पूरी न होने पर वादिया को दहेज



के लिए प्रताडित किया तथा मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 271/22 धारा 498ए/323 भादवि 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 271/22 धारा 498ए/323 भादवि 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सुहैल पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनोद कुमार ।

2. है०का० 378 बलराज सिंह ।

3.का० 44 संजीव कुमार ।